

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

सी०सी०ए० (प्रतिदिन थाना में हाजरी) वाद संख्या 134/2024
राज्य बनाम सागर सोनकर उर्फ राजा

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
दिप्पणी तारीख

--: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का ज्ञापांक-574/डी०सी०बी०, दिनांक-25.10.2024 द्वारा अपराधकर्मी सागर सोनकर उर्फ राजा, पिता सुशील सोनकर, सा० गोलपार, तिरंगा चौक, थाना-रामगढ़ जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3 के तहत प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने से संबंधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात् भी अभियुक्त वकालतन हाजरी प्रस्तुत किया गया एवं वाद के संबंध में कोई कागजात अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें उनके उपर लगाये गए आरोप से बचाव के लिए कुछ नहीं कहना है। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित कराने हेतु अपराध नियंत्रण अधिनियम के मागलो पर त्वरित कार्यवाही अति आवश्यक है। अतः अधिनियम 2002 की धारा-3(2) के आलोक में यह विश्वास करने का आधार है कि उनको और अधिक समय देना उचितकरणा या विलंब के उद्देश्य से किया जाना होगा। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था एवं अपराधिक गतिविधि पर पूर्णनियंत्रण तथा क्षेत्र में लोक-शांति बनाये रखने हेतु विपक्षी के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

उपरोक्त के आलोक में इस न्यायालय के सम्मुख तीन मुख्य विचारणीय प्रश्न हैं।

1. क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(1) (a) के आलोक में विपक्षी असामाजिक तत्व है?
2. क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(1)(b)(i) अथवा 3(1)(b)(ii) की शर्तें पूरी हो रही हैं?
3. क्या विपक्षी के प्रतिदिन थाना में हाजिरी लगाने का आदेश देने का reasonable ground है?

Sec 3. Externment etc. of anti- social elements. -

(1) Where it appears to the District Magistrate that-

(a) Any person is an anti-social element; and

- (b) (i) that his movements or acts in the district or any part thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; or
(ii) that there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code, or under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 or abetment of such offence;

राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है अभियुक्त के विरुद्ध निम्न अपराधिक इतिहास जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है :-

1. रामगढ़ थाना काण्ड संख्या-309/2016, दिनांक-22.08.2016, धारा- 25 (1-बी)ए/26 शस्त्र अधि०।
2. रामगढ़ थाना काण्ड संख्या-300/16, दिनांक-09.09.2016, धारा- 414/120बी० मा०द०वि० एवं 25 (1 गी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरुद्ध कई मामले में सनहा भी दर्ज है। जिसकी विवरणी निम्न है :-

1. रामगढ़ थाना सनहा संख्या 33/2024, दिनांक-19.10.2024
2. रामगढ़ थाना सनहा संख्या-34/2024, दिनांक 20.10.2024
3. रामगढ़ थाना सनहा संख्या-35/2024, दिनांक-21.10.2024
4. रामगढ़ थाना सनहा संख्या-11/2024, दिनांक-22.10.2024

जिसमें इनके उपर ठिकेदारों/व्यावसायियों को घमकाने और रंगदारी मांगने की सूचना दर्ज है। तथा ये भी अंकित है कि विपक्षी अमन साव गिरोह का सक्रिय सदस्य है तथा भयादोहन करने व रंगदारी मांगने का कार्य करता है।

असामाजिक तत्व की परिभाषा CCA Act, 2002 के 2(d) में दी गयी है जिसके अनुसार :-

"Anti-social element" means a person who-

- (i) either by himself or as a member of or leader of a gang, habitually commits or attempts to commit or abets the commission of offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code; or
- (ii) habitually commits or abets the commission of offences under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956;
- (iii) who by words or otherwise promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, language, caste or community or other grounds whatsoever, feelings of enmity or hatred between different religions, racial or language groups or castes or communities; or
- (iv) has been found habitually passing indecent remarks to, or teasing women or girls; or

(v) who has been convicted of an offence under sections 25,26,27, 28 or 29 of the Arms Act of 1959.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य 1984 में "habitual" अभिव्यक्ति की व्याख्या की है।

"Habitual means a thread of continuity stringing together similar repetitive acts and not some isolated, individual and "dissimilar" acts. The expression "habitually" means "repeatedly" or "persistently"

उपर उल्लेखित विपक्षी के अपराधिक इतिहास से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष गैंग के सदस्य के रूप में IPC Chapter XVI & XVII के अपराधों को habitually commit करते हैं। तथा ठेकेदारों से रंगदारी वसूलना तथा उसके लिए भयादोहन करने का कार्य करते हैं। रामगढ़ थाना काण्ड संख्या 300/18 के दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके उपर जान मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप है। ये वर्तमान में न्यायिक हिरासत से जमानत पर मुक्त है।

रामगढ़ थाना सनहा संख्या-33/2024, दिनांक-19.10.2024, रामगढ़ थाना सनहा संख्या-34/2024, दिनांक-20.10.2024, रामगढ़ थाना सनहा संख्या 35/2024, दिनांक-21.10.2024, रामगढ़ थाना सनहा संख्या-11/2024, दिनांक-22.10.2024 इत्यादि का अवलोकन किया। सरकार के द्वारा चलाये जा रहे कार्यों को अपने गिरोह के संगठना के आदेश पर भयादोहन तथा रंगदारी की मांग कर विकास कार्यों को प्रभावित करते हैं। हाल के दिनों में आसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा कई बड़े घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में हैं।

अतः a thread of continuity stringing together similar repetitive acts हैं। और यदि इसमें कोई भी gap apparent प्रतीत होता है तो वो प्रायः इसलिए है कि विपक्षी उस दौरान न्यायिक हिरासत में था। विपक्षी के द्वारा कारण पृच्छा अथवा बहस में इसके विपरीत कोई दलील या साक्ष्य भी नहीं दिया गया है। अतः निःसंदेह Sec 2(d) के अलोक में विपक्षी असाभाविक तत्व है।

साथ ही स्पष्ट है कि धारा 3(1) (b) (i) के अनुरूप इनके "movements or acts in the district or any part thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; "

साथ ही अपराधिक इतिहास और दर्ज सनहा से "there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code, " जो 3(1) (b) (ii) की शर्तों को भी पूरा करता है।

अपराधिक इतिहास एवं विभिन्न सनहा में दर्ज तथ्य तथा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन से पता चलता है कि विपक्षी जब से जेल से छुटकर आया है तब से अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायिक एवं ठेकेदारों को रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देते रहते हैं। जिससे लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। ये विभिन्न श्रोतों से खबर भेजवाकर या खुद

जाकर अपना प्रभाव क्षेत्र के ठिकेदारों/व्यावसायियों को लेवी के लिये भयाक्रांत करते रहते हैं।

उपरोक्त परिस्थिति में इनके अपराधिक इतिहास को देखते हुए इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि जिला बदर कर दिए जाने पर भी ये अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करेंगे तथा विभिन्न श्रोतों से खबर भेजवाकर या खुद जाकर लेवी के लिए भयाक्रांत करेंगे अथवा संबंधित वाद के गवाहों व वादी को डराएंगे-धमकाएंगे। अतः इनकी गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखना आवश्यक है। इन्हें प्रत्येक दिन थाना पर हाजरी उपस्थिति दर्ज कराकर निगरानी करने पर आमजनों में दहशत का माहौल नियंत्रित रहेगा तथा आम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, साथ ही अपराधिक घटनाओं में भी कमी आयेगी।

अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान दिये गये गंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए विधि-व्यवस्था/लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधकर्मी सागर सोनकर उर्फ राजा, पिता-सुशील सोनकर, साब-गोलपार, तिरंगा चौक, थाना रामगढ़ जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)(b)(i), (ii)&(iii) के तहत निम्न आदेश दिया जाता है :-

1. अपराधकर्मी सागर सोनकर उर्फ राजा को अगामी 03 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी, रामगढ़ के समक्ष हाजरी लगाने हेतु आदेश दिया जाता है।
2. यदि कोई अनुज्ञप्ति (Licence) धारित शस्त्र है तो अविलम्ब तरो स्थानीय थाने में जमा करायेगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय। इस आदेश का उल्लंघन झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-25 तथा भारतीय दण्ड संहिता, इत्यादि की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई तथा अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ तथा थाना प्रभारी, रामगढ़ को भेजे। इसी आदेश के साथ वाद निस्तार किया जाता है।

Chandan
06/11/24

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।